# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2025/332**

मिसल नम्बर– 48/2025

1.गुरूचरण खुशलानी आयु 70 वर्ष आत्मज श्री गेलाराम जी सिन्धी निवासी मकान नं0 3/28 आहूजा भवन न्यू कोलोनी गुमानपुरा कोटा

2.कोमल खुशलानी आयु 63 वर्ष पत्नी गुरूचरण खुशलानी जी सिन्धी हाल निवासी मकान नं0 3/28 आहूजा भवन न्यू कोलोनी गुमानपुरा कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

शिल्पा खुशलानी आयु 39 वर्ष पत्नी श्री कुलदीप पुत्री श्री गुरूचरण खुशलानी निवासी मकान बी 26 न्यू जवाहर नगर कोटा जिला कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/12/2025

उपस्थिति:–

1.श्री तेजमल जैन प्रार्थीगण अधिवक्ता

2.श्री अमरीश बलरिया अप्रार्थी अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण प्रतिपक्षी के माता–पिता है, और वरिष्ठ नागरिक है। प्रार्थीगण का एक मकान राज्य सरकार द्वारा आवंटित किया गया था, जिसका भू–आवंटन पत्र क्रमांक–804 दिनांक 12.02.2013 को नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष मे जारी किया गया । मकान का पटटा विलेख का पंजियन भी कार्यालय उप पंजियक कोटा में दिनांक 30.03.2013 को पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–1176, क्रम संख्या– 2013004299 पृष्ठ संख्या–2 पर हों रहा है, जो भू–खण्ड संख्या–बी–26 है। प्रार्थीगण की पुत्री प्रतिपक्षी तथा दूसरी पुत्री दीपिका खुशलानी प्रार्थीगण के साथ ही मकान मे निवासी करती थी, तथा प्रार्थीगण के भराण पोषण व बीमारी मे दवा वगैरा की व्यवस्था दोनो पुत्रियों करती थी । प्रार्थीगण की दूसरी पुत्री का तलाक हो चुका था। प्रार्थीगण की दोनो पुत्रियाँ प्रार्थीगण के साथ ही निवास करती थी, और भरण पोषण व बीमारी मे सारी देखभाल व्यवस्था करती थी, इस कारण प्रतिपक्षी ने प्रार्थीगण से कहा कि वह प्रार्थीगण की आजीवन देखभाल, बीमारी मे इलाज व खाने पीने की व्यवस्था करेगी, और यह कथन करके प्रतिपक्षी ने प्रार्थीगण से अपने उक्त मकान को उसके नाम गिफ्ट करने का दबाव बनाया। प्रतिपक्षी प्रार्थीगण की देखरेख व सारी व्यवस्था करती थी, इस कारण प्रार्थीगण ने इसी आशा मे कि प्रतिपक्षी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मुकाम.....

भविष्य मे भी उनकी सेवा, देखभाल व भरण पोषण की व्यवस्था करेगी । तथा प्रतिपक्षी के बार बार कहने के आधार पर प्रार्थीगण ने अपने मकान नम्बर बी–26 न्यू जवाहर नगर कोटा जिला कोटा (राज0) का दान–पत्र दिनांक 06.12.2024 को प्रतिपक्षी के नाम कर उसका पंजियन प्रतिपक्षी के नाम कर दिया। दान–पत्र का पंजियन प्रतिपक्षी के नाम होने के पश्चात धीरे धीरे प्रतिपक्षी का व्यवहार बदलने लगा । प्रतिपक्षी ने यह कहकर कि मकान मे कुछ निर्माण करना है, इस कारण प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी के किराये वाले मकान मे भेज दिया, और स्वयं भी किराये वाले मकान मे रहने लग गई । 4–5 माह मे जब मकान का निर्माण हो गया तो प्रतिपक्षी तो प्रार्थीगण के मकान नम्बर बी–26 न्यू जवाहर नगर कोटा जिला कोटा (राज०) मे वापस आ गई, और प्रार्थीगण से कह दिया कि अब उनका मकान मे कोई अधिकार नही है, वह स्वयं अपने रहने का, खाने का, बीमारी मे दवा वगैरा की व्यवस्था खुद करें। प्रतिपक्षी का उनसे कोई सम्बन्ध नही है। इस कारण मजबूरी में प्रार्थीगण, प्रतिपक्षी ने जो मकान किराये पर लिया था, उसमे रहने लगे, किन्तु मकान मालिक ने किराया न देने पर मकान खाली करवा लिया, इस कारण अब प्रार्थीगण की अवस्था देखकर छोटी बेटी मीनल खुशलानी के पास मकान नम्बर– 3/28 आहूजा भवन न्यू कोलोनी गुमानपुरा कोटा जिला कोटा (राज०) रह रहे है। प्रार्थीगण वरिष्ठ नागरिक है, और कोई कार्य नही करते है। प्रार्थीगण के बुढ़ापे का सहारा एक मात्र उक्त मकान ही था, जिसे प्रतिपक्षी ने मुगालता देकर कि वह ताजिन्दगी प्रार्थीगण की सेवा करेगी, भरण पोषण करेगी, बीमारी का इलाज करवावेगी, प्रार्थीगण का मकान अपने नाम करवा लिया, और फिर प्रार्थीगण को छोड़ दिया, यहां तक कि मकान मे घुसने भी नही देती है । और लड़ाई झगड़ा करती है। प्रार्थी क्रम–1 कैंसर का पैशेन्ट है, प्रतिपक्षी द्वारा समय परं किमीयो थेरेपी नही कराने के कारण प्रार्थी क्रम–1 की बीमारी भी बढ़ गई है । इस लिये अब प्रार्थी क्रम– 1 को कीमीयो थेरेपी के लिये जयपुर जाना पड़ता है। प्रार्थीगण की वृद्धा अवस्था है तथा प्रार्थीगण के भरण पोषण के लिये कम से कम 10,000/–रूपये, 10,000/–रूपये पृथक पृथक चाहिऐ, जिससे कि प्रार्थीगण अपना इलाज भी करवा सके । प्रतिपक्षी की अच्छी हैसियत है। प्रतिपक्षी ने प्रार्थीगण को धोखा देकर भरण पोषण व बीमारी मे इलाज की पूरी सुविधा देने का आश्वासन देकर प्रार्थीगण के मकान का दान–पत्र अपने नाम करवा लिया, जिससे प्रार्थीगण सम्बन्धित दान–पत्र दिनांक 06.12.2024 को निरस्त करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी से प्रत्येक प्रार्थीगण को 10,000/–रूपये, 10,000/–रूपये मासिक से पृथक पृथक भरण पोषण भत्ता दिलवाया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 06.12.2024 को प्रतिपक्षी के पक्ष मे भू–खण्ड संख्या–बी–26 व इस पर निर्मित मकान वाके न्यू जवाहर नगर कोटा ग्राम बालाकुण्ड तहसील लाडपुरा जिला कोटा का दान–पत्र निरस्त फरमाया जावे। और उक्त मकान का कब्जा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे ।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में गुरूचरण व कोमल खुशलानी का प्रार्थीया का माता पिता होना स्वीकार है किन्तु वरिष्ठ नागरिक होने के जो कथन लिखे गये है उनके साथ साथ महत्व्वपूर्ण तथ्य यह है कि शिल्पा के अलावा उपरोक्त दोनों के दो पुत्रीया दीपिका तथा हिना खुशलानी भी जीवित है और उन्हें प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाये बिना कार्यवाही नही चल सकती है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 2 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार व जिस आशय से लिखे गये है वास्तविक रूप में सत्य नही है और बनावटी रूप से वर्णित किये गये है और उपरोक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने तथा उसके आवंटन आदि के जो सभी कार्य किये गये थे वे वास्तव में अप्रार्थीया के सहयोग और अप्रार्थीया द्वारा दी गयी रकम आदि के आधार पर ही पूर्ण किये गये थे। किसी भी रूप में दिपीका खुशलानी उपरोक्त सम्मित में या किसी भी रूप में उनके साथ निवास नही करती थी बल्कि वह गुमानपुरा वल्लभबाडी में पृथक रूप से ससुराल में पति के साथ निवास कर रही थी और उसके पश्चात् पारिवारिक विवाद के बाद वह कहां गयी इसकी कोई जानकारी अप्रार्थीया को नही है और वर्तमान में अप्रार्थीया का उससे कोई सम्पर्क नही है परन्तु उसके द्वारा कभी भी अपने माता पिता की दावा या भरण पोषण या बीमारी में किसी ईलाज या सहयोग का कोई कार्य नही बल्कि उपरोक्त सभी कार्य अप्रार्थीया द्वारा अपनी सभी जमापूंजी और जो उसके पास थोड़ी सी ज्वैलरी आदि थी उसके माध्यम से उसनें किया है जो अब पूरी तरह से समाप्त हो जाने के कारण यह बनावटी रूप से कार्यवाही की गयी है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 4 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार व जिस आशय से लिखे गये है उनमें मात्र अप्रार्थीया उपरोक्त मकान में निवास करता था और उसके द्वारा ही उपरोक्त मकान को पूर्ण से तैयार करवाया जा रहा था जो अभी भी अधूरा है तथा इन्ही सब परिस्थितियों में वह इसके साथ साथ प्रार्थीगण का ईलाज आदि भी करवा रही थी परन्तु अब उसके पास रकम आदि पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और इस चरण में जो कथन गिफ्ट लिखे जाने के संबंध में किये गये है वह पूरी तरह से असत्य है वास्तविक रूप में अप्राथ्थीया द्वारा उपरोक्त मकान को तैयार करने बनाने आदि के संबंध में जो सभी कार्य किये गये उन्ही के आधार पर उसे उपरोक्त मकान गिफ्ट किया गया था तथा अप्रार्थीया का अपने पति से भी पारिवारिक विवाद चल रहा है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 5 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार व जिस आशय से लिखे गये है उनमें मात्र दिनांक 06.12.2024 को मकान नं. बी– 26, न्यू जवाहर नगर, कोटा को अप्रार्थीया के पक्ष में गिफ्ट किया जाना स्वीकार है परन्तु उपरोक्त गिफ्ट किये जाने के पश्चात् इस गिफ्ट के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार भरण पोषण अधिनियम अथवा इस न्यायालय को इसके संबध में किसी भी प्रकार से कोई क्षेत्राधिकार नही है और यह सभी कार्यवाही परिसीमा बाधित रूप से मात्र जवाबकर्त्ता के अधिकारो को हनन करने के लिये प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 6 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार व जिस आशय से लिखे गये है वह स्वीकार नही है और अप्रार्थीया आज भी अपने माता पिता के साथ पूर्ण रूप से अच्छा व्यवहार और स्वभाव रखना चाहती

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है परन्तु वास्तविकता यहां यह है कि प्रार्थीगण द्वारा उस पर बार–बार अत्यधिक रकम का दबाव बनाते है और अब अप्रार्थीया के पास किसी प्रकार की कोई रकम शेष नही रह गयी है तथा इसलिए अब अन्य दोनों बहनों के कहने के आधार पर उनके द्वारा दिये गये लालच और परिस्थितियों को परिवर्तन करने के आधार पर दबाव बनाने के लिये यह सारे कार्य किये जा रहे है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 7 में वर्णित तथ्य बनावटी और असत्य रूप से स्पष्ट रूप से स्वयं को लाभान्वित करवाने के लिये दर्शाये जा रहे है क्योंकि वास्तविक रूप में उपरोक्त सम्पत्ति को अप्रार्थीया द्वारा जिस रूप में यह सम्पत्ति एक खण्डरनुमा मकान थी जिसे पूर्ण रूप से अप्रार्थीया ने काफी मेहनत के बाद तैयार करवा रही थी और उसी दौरान उसके उसे यह मकान इस लालच में की उसके द्वारा जो सभी कार्य किये गये है उससे इस मकान को पूर्ण करवाने के पश्चात् इस प्रकार से बनावटी कार्यवाही करके इस सम्पत्ति को वापस हड़प करने के लिये यह सारे कार्य किये जा रहे है जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है तथा मीनल जो अन्य मकान में निवास करती है अब उसे भी अप्रार्थीया के साथ जबरन विवाद रखने और जबकि उन दोनों के मध्य कई वाद विवाद तथा लड़ाई झगड़े की परिस्थितिया होने के कारण प्रार्थीगण मीनल व दिपीका के साथ मिलकर यह चाहते है कि जो मकान अप्रार्थीया ने काफी पूरा तैयार करवा लिया अब उस पूरे मकान को वापस वह उससे हड़प कर सके और उसकी समस्त जमापंजी रकम तथा उसके द्वारा जो मेहनत करके यह सारे कार्य करके इस मकान को पूर्ण करवाया गया उसके बाद अब इसे वापस प्राप्त करने के लिये बनावटी कथन किये जा रहे है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 8 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार व जिस आशय से लिखे गये है वास्तविक रूप में सत्य नही है और प्रार्थीगण को अप्रार्थीया द्वारा स्वयं समस्त ईलाज और आदि सारे कार्य करवाये जा रहे थे परन्तु उसकी दोनों बहनो द्वारा उसका जीवन दुभर कर दिया गया और उस पर भी प्राथीगण अब वापस इस सम्पत्ति को हड़प करना चाहते है और वास्तविक रूप में दोनों बहनें जो अप्रार्थीया के साथ लगातार मारपीट करती है और यहां तक की उसकी 10 वर्षीय पुत्री जो नाबालिग है उसे अत्यधिक बेरहमी से मारपीट करके जब उनके द्वारा जबरन कब्जा करने उनके सामान छिनने आदि के सभी प्रयास विफल हो गये तो उसके पश्चात् सभी ने मिल्कर षड़यंत्रपूर्वक यह कार्यवाही करवायी है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 9 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार व जिस उद्देश्य से लिखे गये है वे स्वीकार नही है वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीया जो उसके पति द्वारा उसे त्यागा जा चुका है और उसके द्वारा इसके संबंध में वर्तमान में घेरूल हिसां की कार्यवाही तथा दहेज प्रताड़ना की कार्यवाही, खर्चे के संबंध में वसूली आदि की कार्यवाहियां लंबित है जिनमें उसे मात्र 8,000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश परन्तु आज श्तक मात्र 20,000/–रूपये मिले है अब ऐसी स्थिति में जब वह स्वयं अपना व अपनी पुत्री का भरण पोषण करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में उससे जबरन आर्थिक भार डालने के संबंध में दिपीका और मिनल द्वारा अपने माता पिता को बहकावे में लाकर षड़यंत्रपूर्वक यह सारी कार्यवाही करवायी

उपखण्ड अधिकारी

जा रही है जबकि पूर्व में प्रार्थीया ही किमोथैरेपी आदि के सारे कार्य करती थी परन्तु दोनों बहनों द्वारा अब यह मकान जवाकर्त्ता के नाम करा देने के पश्चात् उनके द्वारा इस सम्पत्ति को वापस लेने के लिये दबाव बनाया जा रहा है जिसके लिये परिवार में लड़ाई झगड़े और कई कृत्य आदि किये जा रहे है जिनके अनुसरण में यह कार्यवाही की गयी है और यह जयपुर में थैरेपी करवाने के आदि के कथन पूरी तहर से असत्य है और मान्य नही है और यह कार्य भी अप्रार्थीया ने ही करवाया था। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 10 में प्रार्थीगण के वृद्धावस्था होने और भरण पोषण के लिये कम से कम 10,000/–रूपये पृथक पृथक कुल 20,000 /–रूपये की मांग अप्रार्थीया से की है जबकि वह स्वयं कोई कार्य नही करती है उसकी समस्त जमापूंजी और जैवर आदि सब बिक चुके है अब उनके पश्चात् उसे जो 8,000/–रूपये प्रतिमाह स्वयं पति से भरण पोषण के मिलते है ऐसी स्थिति में उससे 20,000/–रूपये की भरण पोषण की मांग करने की परिस्थिति स्पष्ट रूप से वास्तविक नही है तथा यह कार्यवाही पुरी तरह से बनावटी रूप से मात्र दबाव बनाकर सम्पत्ति हड़प करने के उद्देश्य से की गयी है। प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 11 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार व जिस आशय से लिखे गये है उनमें वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीया द्वारा सम्पूर्ण कार्य ईलाज भरण पोषण आदि के अपने हद और स्तर तक लागातार करवाये जा रहे थे और अपने माता पिता को साथ रखते हुये उनका पूरा ध्यान आदि रखा जा रहा था जिससे खश होकर ही उनके द्वारा दिनांक 06.12.2024 को उसके पक्ष में गिफ्ट डिड लिखी गयी थी परन्तु उसके पश्चात दोनों बहनो द्वारा लगातार जवाबकर्त्ता के जीवन में दखल देने और उसकी एक मात्र पुत्री और उसके साथ कई बार मारपीट लड़ाई झगड़े और विवाद की परिर्थितियां होने और उनके सामान आदि छिनने के जो कृत्य जिस प्रकार से उन्हें किये है उनके बाद उपरोक्त विवाद में प्रार्थीगण अपनी दोनों पुत्रीयो का साथ देने लगे है जिसके कारण अब प्रार्थीया का उनके साथ रहना और जीवन जीना पूरी तरह से असंभव है जिसके कारण अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिये उसनें उनसे पृथक रहना पंसद किया और इस आधे अधूरे मकान में ही वर्तमान में उसे बमुश्किल निवास करना पड़ रहा है परन्तु किसी भी रूप में दिनांक 06. 12. 2024 को की गयी गिफ्ट को इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के माध्यम से किसी भी रूप में जो सम्पत्ति वर्तमान में जवाबकर्त्ता के नाम रजिस्टर्ड दस्तावेज से हुई है उसे निरस्त करने का कोई प्रावधान या कोई परिस्थिति किसी भी रूप में नही है और मात्र उसकी समस्त रकम जमा पूंजी आदि खर्च करवाने के बाद इस प्रकार से यह कार्यवाही बनावटी रूप से प्रस्तुत की गयी है । प्रार्थना पत्र के चरण क्रम 12 में वर्णित तथ्य किसी भी रूप में स्वीकार नही है और रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से जो सम्पत्ति अप्रार्थीया को दी गयी है उसे अवधिबाधित रूप से और किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई अआक्षेप या कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में नही है। साथ ही यहा यह महत्वपूर्ण है कि अप्रार्थी को स्वयं माननीय न्यायालय के आदेश से 8000/–रूपये भरण पोषण की राशि जो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अप्रार्थीया और उसकी पुत्री के लिये आदेशित है उसमें से वह 10,000/–रूपये प्रत्येक को प्रदान नही कर सकती है और यह 8,000/–रूपये उसके व उसकी पुत्री दोनों के भरण पोषण के लिये परिवार न्यायालय द्वारा दिलवाये गये है इसलिए अपनी भरण पोषण की राशि मे से वह अन्य कोई राशि प्रार्थीगण को देने की कोई परिस्थिति नही है तथा साथ ही सम्पत्ति मूल्य पर न्याय शुल्क अदा किये बिना कानूनी कार्यवाही करने के स्थान पर जिस प्रकार से यह कार्यवाही की गयी है वह किसी भी रूप में उचित न्याय शुल्क पर और विधिक रूप से न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में चलने योग्य नही है तथा जहां स्पष्ट प्रावधान भरण पोषण के संबंध में पथक से बनाये गये है उनके रहते किसी भी रूप में इस न्यायालय में यह कार्यवाही चलने योग्य नही है। अंतिम प्रार्थना पूर्ण रूप से बनावटी, क्षेत्राधिकारहीन, अवधिबाधित और जिस जवाबकर्ता को स्वयं न्यायालय के आदेश भरण पोषण राशि अपनी स्वयं की और अपनी पुत्री दोनों के लिये 8000/–रूपये प्रतिमाह मिलते है उनसे 20,000/–रूपये की राशि प्राप्त करने के कथन के आधार पर यह कार्यवाही सभी वास्तविक तथ्यों को छिपाकर जिस रूप में प्रस्तुत की है वह चलने योग्य नही है और काबिले खारिज है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से अपने अपेन प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया। प्रार्थीगण की माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक के रिट पिटीशन नं0 202832 ऑफ 2019 आदेश दिनांक 29 जुलाई 2024 पेश की। उक्त न्यायिक निर्णय से सम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण ने अपने मकान नम्बर बी–26 न्यू जवाहर नगर कोटा जिला कोटा (राज0) का दान–पत्र दिनांक 06.12.2024 को प्रतिपक्षी के नाम कर उसका पंजियन प्रतिपक्षी के नाम कर दिया। दान–पत्र का पंजियन प्रतिपक्षी के नाम होने के पश्चात धीरे धीरे प्रतिपक्षी का व्यवहार बदलने लगा। अतः उक्त दानपत्र निरस्त फरमाया जावे एवं अप्रार्थी से भरण पोषण राशि दिलवायी जावे।

अप्रार्थीया की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थीया द्वारा सम्पूर्ण कार्य ईलाज भरण पोषण आदि के अपने हद और स्तर तक लगातार करवाये जा रहे थे और अपने माता पिता को साथ रखते हुये उनका पूरा ध्यान आदि रखा जा रहा था जिससे खुश होकर ही उनके द्वारा दिनांक 06.12.2024 को उसके पक्ष में गिफ्ट डीड लिखी गयी थी। अप्रार्थीया को न्यायालय के आदेश से भरण पोषण राशि अपनी स्वयं ओर अपनी पुत्री दोनो के लिये 8,000/– रूपये प्रतिमाह मिलते है जिस कारण अप्रार्थीया प्रार्थीगण को भरण पोषण राशि दिये जाने में सक्षम नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीया का एक ओर कथन है कि अप्रार्थीया को उसके पति द्वारा त्यागा जा चुका है। उसका गुजारा पति से भरण पोषण के पेटे

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्राप्त होने वाले 8,000/–रू से बड़ी मुश्किल होता है वही दूसरी और उसका कथन है कि मकान अप्रार्थीया द्वारा पूरा तैयार करवाया गया है जो पूर्णतया विरोधाभासी है। अप्रार्थीया स्वयं यह स्वीकार कर रही है कि उसके पास आय का अन्य कोई साधन नही है तो फिर उसके द्वारा मकान कैसे पूर्ण करवाया गया। और इसी कारण अप्रार्थीया के तर्क स्वीकार योग्य नही है। वही प्रार्थी की विकट शारीरिक परिस्थितियों के मद्देनजर (कैंसर पेशेन्ट होना) यह न्यायालय प्रार्थीगण के हितो की रक्षा हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायोचित पाता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रत्येक प्रार्थीगण को 10,000/–रूपये, 10,000/–रूपये मासिक पृथक पृथक भरण पोषण भत्ता दिलवाये जाने का भी निवेदन किया है परंतु अप्रार्थीया स्वयं के पास आय का अन्य कोई साधन नही है एवं न्यायालय आदेश से प्राप्त होने वाले भरण पोषण राशि पर निर्भर है। अप्रार्थीया स्वयं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) में दिये गये प्रावधानों अनुसार "जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अध्यधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूल भूत शारीरिक आवश्यकताओं को प्रदान करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारिरीक आवश्यकताओं को प्रदान करने से इन्कार करता है या असफल रहता है तो ऐसे अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जावेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।"

उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि उपरोक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया पुत्री की पक्ष में निष्पादित की गई दान पत्र दिनांक 06.12.2024 के बाद अप्रार्थीया द्वारा वरिष्ठ नागरिक माता पिता से लड़ाई झगड़ा करना एवं उक्त मकान में नही जाने देने से उक्त दान पत्र को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत की गयी प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है एंव दिनांक 06.12.2024 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया शिल्पा खुशलानी के पक्ष में निष्पादित दान पत्र सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत शून्य घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति उप पंजीयक द्वितीय कोटा एवं कोटा विकास प्राधिकरण को भिजवाई जावें। चूंकि अप्रार्थीया स्वयं के पास आय के पर्याप्त साधन नही है जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा भरण पोषण हेतु चाही गई सहायता दिलाया जाने उचित प्रतीत नही होता है।

चूंकि अप्रार्थीया स्वयं अपने पति से पृथक रह रही है अतः उसे हस्तगत मकान में एक कमरे में रहने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि वह किराये के रूप समें 1500/– प्रार्थीगण को प्रदान करेगी।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा